भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND R[illegible]ES

INDIA

[उत्त]र प्रदेश UTTAR PRADESH

A 873600

(9)

बयशुदा आराजी की बाजारू मालियत श्रीमान जिलाधिकारी महोदय लखनऊ द्वारा मुबलिग-4,30,000.00 रूपया प्रति हेक्टेयर की दर से निर्धारित है जिसके हिसाब से बयशुदा आराजी रकबा-0.9660 हेक्टेयर की मालियत मुबलिग-4,15,380.00 रूपया (चार लाख पन्द्रह हजार तीन सौ अस्सी रूपया) होती है। चूंकि विक्रय मूल्य अधिक है अतः विक्रय मूल्य पर निर्धारित 100/- रूपया प्रति हजार की दर से मुबलिग रूपया-50,000.00 रूपया का स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

शंकर सिंह

तुलना किया

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 890979

फोटो

फोटो

विक्रय मूल्य	:	5,00,000.00
मालियत	:	4,15,380.00
स्टाम्प	:	50,000.00
परगना	:	बिजनौर

विक्रय-विलेख

1.	भूमि का प्रकार	- कृषि
2.	वार्ड/परगना	- बिजनौर
3.	मोहल्ला/ग्राम	- पहाड़पुर
4.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति सं.)	- भूमि खसरा संख्या-225 का मि.
5.	मापन की इकाई (हेक्टेयर/वर्गमीटर)	- हेक्टेयर
6.	सम्पत्ति का क्षेत्रफल	- 0.966 हेक्टेयर
7.	सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार)	- कानपुर रोड से 2 किलोमीटर दूर
8.	अन्य विवरण (9 मीटर रोड/कार्नर इत्यादि)	- नहीं

राकेश सिंह

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 890978

(2)

9. सम्पत्ति का प्रकार :- - कृषि
10. पेड़ों का मूल्यांकन - नहीं
11. बोरिंग/कुआं/अन्य - नहीं
12. निर्मित क्षेत्रफल - नहीं
13. प्रतिफल की धनराशि - 5,00,000/- रुपया

पूरब	-	भूमि खसरा संख्या-224 'तालाब'
पश्चिम	-	चकरोड बादहू सरहद ग्राम-सराय शहजादी
उत्तर	-	चकरोड बादहू भूमि खसरा संख्या-213
दक्षिण	-	भूमि खसरा संख्या-227

<u>प्रथमपक्ष की संख्या (एक)</u>

राकेश सिंह
पुत्र स्व. सुर्ज बक्श सिंह
निवासी- ग्राम-पहाड़पुर,
परगना-बिजनौर, तहसील व जिला-
लखनऊ

राकेश सिंह

<u>द्वितीयपक्ष की संख्या (एक)</u>

"भारतीय अल्प संख्यक शिक्षा प्रसार समिति"
निबन्धन संख्या-1219/2007-2008,
कार्यालय-104, आशा अपार्टमेन्टस, फेज-I,
19-राम मोहन राय मार्ग, जनपद-लखनऊ
द्वारा सचिव/प्रबन्धक-सैय्यद असगर अब्बास
नकवी पुत्र स्व. सैय्यद हसन अब्बास नकवी

पहचान कि...
तु ...

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH A 890977

(3)

राकेश सिंह पुत्र स्व. सुर्ज बक्श सिंह निवासी- ग्राम-पहाड़पुर, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला- लखनऊ

.... प्रथमपक्ष/विक्रेता

<u>एवम्</u>

"भारतीय अल्प संख्यक शिक्षा प्रसार समिति" निबन्धन संख्या-1219/2007-2008, कार्यालय-104, आशा अपार्टमेन्टस, फेज-I, 19-राम मोहन राय मार्ग, जनपद-लखनऊ द्वारा सचिव/प्रबन्धक-सैय्यद असगर अब्बास नक़वी पुत्र स्व. सैय्यद हसन अब्बास नक़वी

.... द्वितीयपक्ष/क्रेता

राकेश सिंह

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

TRY. LKO.

- 3 AUG 2011

TRY. LKO.

(4)

जोकि मैं प्रथमपक्ष/विक्रेता भूमि खाता खतौनी क्रम संख्या-00123 खसरा संख्या-225 रकबा-0.9660 हेक्टेयर स्थित-ग्राम-पहाड़पुर, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला-लखनऊ का मालिक, कामिल व काबिज हूं। उक्त आराजी विक्रेता के नाम राजस्व अभिलेखों के खसरा एवं खतौनी में दर्ज है। जो प्रथमपक्ष/विक्रेता के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है जो जुमला हर प्रकार के विवादो व भारो जैसे रेहन, बय, हिबा, जमानत, कुर्की, मुकदमा, ऋण, स्कीम आदि से पूर्णतया बरी व पाक साफ है। उक्त आराजी को विक्रय

राकेश सिंह

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 873346

- 3 AUG 2007

(5)

करने का मुझ प्रथमपक्ष को पूर्ण कानूनी व मालिकाना अधिकार प्राप्त है। चूंकि मुझे रूपयो की सख्त आवश्यकता है। अतः अब मैं अपनी राजी खुशी से बिना किसी जोर दबाव नाजायज के बदुरूस्त होशो हवास में उपरोक्त आराजी नम्बरी व अपने हिस्से की कुल पैमाइशी को जिसकी चौहद्दी व तफसील अन्त में दी जा रही है को बकीमत मुबलिग-5,00,000.00 रूपया (पांच लाख रूपया) जिसके आधे मुबलिग-2,50,000.00 रूपया (दो लाख पचास हजार रूपया मात्र) होते है बदस्त "भारतीय अल्प संख्यक शिक्षा प्रसार समिति" निबन्धन संख्या-1219/2007-2008, कार्यालय-104, आशा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

प्रदेश UTTAR PRADESH A 872393

(6)

अपार्टमेन्टस, फेज-I, 19-राम मोहन राय मार्ग, जनपद-लखनऊ द्वारा सचिव/प्रबन्धक-सैय्यद असग़र अब्बास नक़वी पुत्र स्व. सैय्यद हसन अब्बास नक़वी क्रेता/द्वितीयपक्ष के कतई बय फरोख्त किया यानि बेच डाला और कुल जरसमन अन्त में लिखित विवरण के अनुसार क्रेता/द्वितीयपक्ष से वसूल पाकर कब्जा व दखल मालिकाना अपने ही समान क्रेता/द्वितीयपक्ष का बखूबी करा दिया। अब मेरा या मेरे वारिसान व कायम मुकामान का कोई भी हक या हिस्सा बाबत आराजी बयशुदा या जरसमन के क्रेता/द्वितीयपक्ष

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

...र प्रदेश UTTAR PRADESH

A 872394

(7)

से किसी भी किस्म का बाकी नही रहा। यदि कोई दीगर शख्स निस्बत आराजी बयशुदा के अपना हक या हिस्सा जतावे या दावा करे तो दावा उसका बरूए तहरीर बैनामा हाजा बातिल व नाजायज होवे। यदि किसी दीगर शख्स की दावेदारी उज्रदारी, या हकदारी से आराजी बयशुदा का कुल या कुछ भाग कब्जे क्रेता/द्वितीयपक्ष से किसी भी समय निकल जावे या कब्जा क्रेता/द्वितीयपक्ष को न मिले या मिल्यिकत या हकीयत मुझ प्रथमपक्ष की करार न पाई जावे या अन्य कोई कानूनी विवाद बाबत स्वामित्व के निकले तो ऐसी तमाम सूरतो में

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

त्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 872395

(8)

क्रेता/द्वितीयपक्ष को पूर्ण हक हासिल होगा कि वह अपना कुल रूपया मय हर्जा व खर्चा व नुकसान वगैरह मेरी व मेरे वारिसान व कायम मुकामान की दीगर जायदाद चल व अचल से बजरिये अदालत वसूल कर लेवे। कोई मुकाम उज्र का न होगा। अब क्रेता/द्वितीयपक्ष को पूर्ण हक हासिल है कि वह उक्त आराजी बयशुदा का दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों मे अपने नाम करा लेवे कोई मुकाम उज्र का न होगा।

रकेश सिंह

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

...र प्रदेश UTTAR PRADESH

A 873739

बयशुदा आराजी जनपदीय मार्ग, राजमार्ग, मुख्यमार्ग पर स्थित नही है तथा उक्त आराजी पर कोई भी कुआं, पेड़, इमारत, नलकूप आदि नही है तथा बयशुदा आराजी लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ की किसी भी योजना में अधिग्रहीत नही है तथा न ही अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है। बयशुदा आराजी की बाबत कोई पंजीकृत इकरारनामा बय क्रेता व विक्रेता के मध्य नही हुआ है। बयशुदा आराजी पर कोई भी निर्माण कच्चा व पक्का आदि नही है तथा बयशुदा आराजी कृषि है वर्तमान में कृषि हो रही है विक्रेता अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित

जनजाति का सदस्य नही है। विक्रेता/प्रथमपक्ष व क्रेता/द्वितीयपक्ष का अस्थायी व स्थायी पता उपरोक्तानुसार है। आराजी बयशुदा मुख्य कानपुर रोड से 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

लिहाजा यह बैनामा बिना किसी जोर दबाव नाजायज के बदुरूस्त होशो हवास में बहक क्रेता/द्वितीयपक्ष के रूबरू गवाहान लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे।

<u>तफसील बयशुदा आराजी</u>

भूमि खाता खतौनी क्रम संख्या-00123 खसरा संख्या-225 रकबा-0.9660 हेक्टेयर स्थित-ग्राम-पहाड़पुर, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला-लखनऊ

<u>चौहद्दी</u>

पूरब - भूमि खसरा संख्या-224 'तालाब'
पश्चिम - चकरोड बादहू सरहद ग्राम-सरायं शहजादी
उत्तर - चकरोड बादहू भूमि खसरा संख्या-213
दक्षिण - भूमि खसरा संख्या-227

राकेश सिंह

तफसील वसूलयाबी कुल जरसमन

कुल विक्रय मूल्य मुबलिग-5,00,000/- रूपया (पांच लाख रूपया) बजरिये डी.डी.संख्या-063219 दिनांक 07.08.2007 जारी उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, 2 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ द्वारा क्रेता/द्वितीयपक्ष से विक्रेता/प्रथमपक्ष ने प्राप्त किया। अब कुछ भी पाना शेष नही रहा।

राकेश सिंह

लखनऊ

दिनांक 07.08.2007 हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष/विक्रेता

1. गवाह [illegible]
   पता [illegible] लखनऊ

2. गवाह Rehan Abbas [illegible] हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष/क्रेता
   पता S/o late S.S.H. [illegible] E-2[illegible] Rajajipuram Lucknow.

टाइपकर्ता

(मो. अलीम)

कलेक्ट्रेट, लखनऊ

मसविदाकर्ता